रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 2, 2019, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1940
No. 9] NEW DELHI, FEBRUARY 24—MARCH 2, 2019, SATURDAY/ PHALGUNA 5— PHALGUNA 11, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.आ. 286.—इस विभाग की दिनांक 05.02.2018 की अधिसूचना संख्या 22/4/2003-सतर्कता (खंड-III) के अनुक्रम में और विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत 67,000/- रुपए + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि – 79,000/- रुपए के एचएजी वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभिरक्षक के पद पर श्री जयंती प्रसाद (आईए एंड एएस: 1986) के कार्यकाल को दिनांक 15.01.2019 से एक और वर्ष की अवधि के लिए या अभिरक्षक के कार्यालय के बंद होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 22/4/2003-सतर्कता (खंड-III)]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 288.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा—1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मार्च, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय—4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय—5 और 6 [धारा—76 की उप धारा—(1) और धारा—77, 78,79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की संपूर्ण सीमाओं में, जहॉ क.रा.बी. अधिनियम के उपबंध पहले ही लागू हैं, के अतिरिक्त भी प्रवृत्त होंगे।

[सं. एस—38013/01/2019—एस.एस.I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 288.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 2019 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77,78,79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas of State of Gujarat namely:-

"The areas comprising within the limits of Vadodara District, in Gujarat State excluding the areas where the provisions of ESI Act have already been brought into force."

[No. S-38013/01/2019-S.S.I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 289.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा 76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध महाराष्ट्र राज्य में संबंधित तहसील तथा जिलों के साथ-साथ में कॉलम—2 में क्र.सं. 1 से 8 पर उल्लिखित आठ जिलों के जिला मुख्यालय के नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्रों तथा (कॉलम-2 में क्रं. सं. 9) सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस जिला परिषद की सीमाओं में शामिल सभी क्षेत्रों और कॉलम—3 में उल्लिखित एमआइडीसी क्षेत्रों के सभी राजस्व ग्राम में प्रवृत्त होंगे, नामत:

क्र.सं.	जिलों के नाम	एमआइडीसी क्षेत्र का नाम	तहसील का नाम
1	2	3	4
1.	यवतमाल	यवतमाल	यवतमाल
		अतिरिक्त यवतमाल	
2.	भंडारा	भंडारा (गडेगांव)	भंडारा, लखानी
3.	जालना	जालना	
		अतिरिक्त जालना I	
		अतिरिक्त जालना II	

		अतिरिक्त जालना III	जालना
		अंबड (जालना)	अंबड
4.	बीड	बीड	बीड
5.	लातूर	लातूर	लातूर
		अतिरिक्त लातूर	
		औसा फेज I	औसा
6.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
7.	परभनी	-	परभनी
8.	अहमद नगर	अहमद नगर	अहमद नगर
		श्रीरामपुर	श्रीरामपुर, रहाटा
		सुपा पारनेर	पारनेर
9.	सिंधुदुर्ग	कुडल	कुडल

[सं. एस-38013/02/2019-एस.एस.I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 289.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2019 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77,78,79 and 81 which have already been brought into force] of said Act shall come into force in the areas within the Municipal Limits of District Headquarters of Districts specified at Sl. No. 1 to 8 in Column 2 and areas within the Zila Parishad limit of Oros of Sindhudurg District (Sl. No. 9 in Column 2) and in all revenue villages comprising MIDC areas specified in column 3 mentioned along with respective tehsils & Districts in the State of Maharashtra, namely:-

Sl. No.	Name of Districts	Name of MIDC Area	Name of Tehsil
1	2	3	4
1.	Yavatmal	Yavatmal	Yavatmal
		Addl. Yavatmal	
2.	Bhandara	Bhandara (Gadegaon)	Bhandara, Lakhani
3.	Jalna	Jalna	Jalna
		Addl. Jalna I	
		Addl. Jalna II	
		Addl. Jalna III	
		Ambad (Jalna)	Ambad
4.	Beed	Beed	Beed
5.	Latur	Latur	Latur
		Additional Latur	
		Ausa Phase I	Ausa

6.	Osmanabad	Osmanabad	Osmanabad
7.	Parabhani	Nil	Parabhani
8.	Ahmednagar	Ahmednagar	Ahmednagar
		Shrirampur	Shrirampur, Rahata
		Supa Parner	Parner
9.	Sindhudurg	Kudal	Kudal

[No. S-38013/02/2019-S.S.I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 290.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स जीएमआर एनर्जी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 251/2017) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14.02.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल—11012/29/2017—आईआर (सीएम—I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 290.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi (Ref. No. 251/2017) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. GMR Energy Limited and their workmen, which was received by the Central Government on 14.02.2019.

[No. L-11012/29/2017-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1: ROOM No. 511, DWARKA COURT COMPLEX, SECTOR 10, DWARKA, DELHI – 110 075

ID No.251/2017

Shri Gajraj Singh S/o Shri Raja Ram,
R/o House No.922, Holi Chowk,
Near Post Office, Mahipalpur,
New Delhi – 110 027 ...Workman

Versus

(i) M/s. GMR Energy Limited,
O/o DIAL, New Udaan Bhawan,
Opposite Terminal-3,
Indira Gandhi International Airport,
New Delhi – 110 037

(ii) M/s. Quess Corp. Limited,
B-1/1 1st Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate,
New Delhi – 110 044 ...Management

AWARD

In the present case, a reference was received vide letter No.L-11012/29/2017-IR(CM-I) dated 04.07.2017 under clause (d) of sub-section (1) and Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial disputes, terms of which are as under: